विस्तृत विज्ञापन

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2018/64 दिनांक : 08/02/2018

**जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2017**

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 [Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017] के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रूपये 12,400/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। (दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पे लेवल L-1 में रूपये 17700/– पर नियतन (Fixation) किया जावेगा।)

**विशेष नोटः–**

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017, विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in, समस्त जिला न्यायालयों की वेबसाईट्स, ई–मित्र के पोर्टल http://emitra.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(2) आवेदक आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह सुसंगत नियमों के तहत अधिकथित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। पात्र अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता की उपधारणा करने का हकदार नहीं बनायेगा। भर्ती प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता, जिनका पद के लिए चयन किया गया है, किसी भी स्तर पर खारिज कर सकता है, यदि वे पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र पाये जाते हैं।

2. **रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षणः–**

**जिला न्यायालयों के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण, जिलेवार एवं वर्गवार निम्न प्रकार हैः–**

**(क) गैर–अनुसूचित क्षेत्रः– (Non TSP Areas)**

| सामान्य/अनारक्षित (GEN) | | | | अनुसूचित जाति (SC) | | | | अनुसूचित जनजाति (ST) | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (OBC/MBC) | | | | कुल रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | W | D | M | F | W | D | M | F | W | D | M | F | W | D | **2178** |
| **अजमेर न्यायक्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 33 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159<br>(4 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)<br>LD/CP: 2, B/LV: 1, HI: 1 |
| **अलवर न्यायक्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 14 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 110<br>(3 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)<br>LD/CP: 1, B/LV: 1, HI: 1 |
| **बालोतरा न्यायक्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69<br>(1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)<br>LD/CP: 1, B/LV: 0, HI: 0 |
| **बारां न्यायक्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 64<br>(1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)<br>LD/CP: 1, B/LV: 0, HI: 0 |
| **भरतपुर न्यायक्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 103<br>(3 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)<br>LD/CP: 1, B/LV: 1, HI: 1 |

<table>
<tr><td colspan="19">भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">41</td><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">17</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">116<br>(3 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="19">बीकानेर न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">63<br>(2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="19">बून्दी न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">24</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">52<br>(1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="19">चित्तौड़गढ़ न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">52</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">17</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">22</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td colspan="3">148<br>(4 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="19">चूरू न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">24</td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">55<br>(2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="19">दौसा न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">30<br>(1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="19">धौलपुर न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td>25</td><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">60</td></tr>
<tr><td colspan="19">हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">32</td><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">91<br>(2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="19">जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="3">23</td></tr>
<tr><td colspan="19">जयपुर जिला न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">21</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">61<br>(1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="19">जैसलमेर न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td>14</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">37</td></tr>
<tr><td colspan="19">जालौर न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">21</td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">52<br>(2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="19">झालावाड़ न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="3">28</td><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">68<br>(2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="19">झुन्झुनू न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td>18</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">41</td></tr>
<tr><td colspan="19">जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">17</td></tr>
<tr><td colspan="19">जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">15</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| करौली न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 45 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| कोटा न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 88 | | | |
| मेड़ता न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| पाली न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 (1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| राजसमन्द न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 59 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| सवाईमाधोपुर न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| सीकर न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 73 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| सिरोही न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
| गंगानगर न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 14 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 125 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| टोंक न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 (2 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| उदयपुर न्यायक्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 102 (3 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LD/CP | B/LV | HI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |

**विशेष नोटः–** 1. अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के आवेदक अपनी श्रेणी के साथ–साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)के आरक्षित पदों के विरूद्ध भी आवेदन करें।

2. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं.एफ.7(1)डीओपी/ए–II/2017 दिनांक 21.12.2017 के तहत अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के आवेदकों को, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पदों के अतिरिक्त नियमानुसार 1 (एक) प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उक्त 1 प्रतिशत पदों का व्यवकलन नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी के पदों में से किया जाएगा।

3. भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर आरक्षण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक : F.11 (125)/OBC/जाट/R&P/SJED/2016/48825 दिनांक 23.08.2017 के तहत देय होगा।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रः– **(TSP Areas)**

<table>
<tr><td colspan="4">सामान्य / अनारक्षित (GEN)</td><td colspan="4">अनुसूचित जाति (SC)</td><td colspan="4">अनुसूचित जनजाति (ST)</td><td colspan="3">कुल रिक्त पदों की संख्या</td></tr>
<tr><td>M</td><td>F</td><td>W</td><td>D</td><td>M</td><td>F</td><td>W</td><td>D</td><td>M</td><td>F</td><td>W</td><td>D</td><td colspan="3">**131**</td></tr>
<tr><td colspan="12">**सिरोही (आबूरोड़ खण्ड)**</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">11</td></tr>
<tr><td colspan="12">**प्रतापगढ़ न्यायक्षेत्र**</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>13</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>11</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="3">35</td></tr>
<tr><td colspan="12">**बाँसवाड़ा न्यायक्षेत्र**</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">44<br>(1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="12">**डूंगरपुर न्यायक्षेत्र**</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="3">41<br>(1 पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित)</td></tr>
<tr><td>LD/CP</td><td>B/LV</td><td>HI</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

**[ M-Male (पुरूष); F-Female (महिला); D-Divorcee Women (परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला); W-Widow (विधवा)]**
**[LD/CP- Locomotor disability or cerebral palsy (गतिबाधित या मस्तिष्क घात); B/LV- Blindness or low vision (अन्धता या कम दृष्टि); HI- Hearing impairment (श्रवण बाधित)]**

1. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उप आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।
2. जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड़ हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।
3. इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।
4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेगी।
5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता–पिता / पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।

नोटः–

- उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति / शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा ।
- यदि भर्ती प्राधिकारी को उपर्युक्त विज्ञापित पदो के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी से, विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये तो वह ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।
- भर्ती में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर इस निमित्त यथा संशोधित राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार होगा।
- निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग) का निःशक्त आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- निःशक्तजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान सरकार के नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र **निर्धारित प्रारूप में** प्रस्तुत करना होगा। Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता दर्शाते हुए जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।
- महिलाओं हेतु पद क्षैतिज रूप से श्रेणीवार आरक्षित है। किसी भी श्रेणी विशेष में योग्य महिला अभ्यर्थी चयन हेतु उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पदों पर अन्य श्रेणी की योग्य महिला अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा। ऐसे रिक्त पद उसी श्रेणी विशेष के योग्य पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे।
- विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
- निःशक्तजन (विशेष योग्यजन) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को भी विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जावेगा।

- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।
- विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अति.पि.व.) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय उपरोक्त वर्णित जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा, वरीयता के आधार पर यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी। प्राथमिकतानुसार पांच जिलों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे।
- **गैर अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के निवासी आवेदन के लिए जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं करें।**
- **अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से चयन करें।**
- **अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के उसी संबंधित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जायेगा।**
- **किसी एक अनुसूचित क्षेत्र के निवासी, आवेदन में किसी भी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे।**
- **अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदन के लिए जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) की प्रथम प्राथमिकता के अतिरिक्त किन्हीं अन्य चार गैर अनुसूचित (Non-TSP) क्षेत्र के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट के अध्यधीन ही रहेगी ।**
- **उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियां नहीं होने के कारण अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाई गई है।**

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–**

(i) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सैकण्डरी; और
(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

4. **शारीरिक उपयुक्तताः–**
आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा आने की सम्भावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे भर्ती प्राधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. **राष्ट्रीयताः–**

सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :–
(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) नेपाल का नागरिक हो; या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो :
परन्तु (ख) और (ग) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया हो।

6. **आयुः–**

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

**परन्तु**

(i) उपरोक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को,–
(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष; और
(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा;

(ii) उपरीवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से सेवा सम्पादित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होनें आयु सीमा पार कर ली हो और उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे;

(v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरीवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कैडेट अनुदेशक के रूप में राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रदान की गयी कुल सेवा अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए भर्ती प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होनें आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vii) 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी;

(viii) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और पब्लिक सेक्टर उपक्रम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;

(ix) विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं (परित्यक्ता) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;

(x) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिनमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

(xi) निःशक्त व्यक्तियों के लिए, उपरवर्णित आयु सीमा समय–समय पर यथा संशोधित राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 के उपबंधों की अनुरूपता में निम्न प्रकार शिथिल की जायेगीः–

(a) सामान्य श्रेणी के लिए 10 वर्ष,

(b) अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 13 वर्ष,

(c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 15 वर्ष,

नोट :– **उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या (x) के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की शिथिलता प्रदान की गई है।**

7. <u>चरित्र</u> :– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे सच्चरित्रता के ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके संबंधी न हों।

8. <u>परीक्षा शुल्क</u>:–

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगीः–

| सामान्य श्रेणी | अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विधवा महिला/ परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला/ निःशक्तजन (विशेष योग्यजन) |
|---|---|---|
| 100/– | 100/– | 60/– |

9. <u>परीक्षा शुल्क की वापसी</u>:–

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

10. <u>नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं</u>:–

1. कोई पुरूष/महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
2. कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।
   स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

   परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती हैः

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगाः

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त होः

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

11. <u>चयन प्रक्रियाः</u>–

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के पद पर चयन के लिए योग्यता सूची भर्ती प्राधिकारी द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड द्वारा संचालित सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

**नोटः–** जिन अभ्यर्थियों के सैकण्डरी परीक्षा के परिणाम–पत्रक (Result Sheet) में अंकों की जगह संचित ग्रेड औसत का बिन्दु (CGPA) दिया गया है, उनके सूचक प्रतिशत (Indicative Percentage) की गणना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा प्रयुक्त फॉर्मूले (CGPA x 9.5) के अनुसार की जायेगी।

12. **<u>आवेदन प्रक्रिया</u> :–**

1. आवेदन करते समय आवेदक के पास SSO ID और पासवर्ड आवश्यक है। यदि आवेदक पूर्व में पंजीकृत नही हो तो स्वयं को http://sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत कर सकता है।
2. आवेदक स्वयं ऑनलाइन मोड से कम्प्यूटर/नेट के माध्यम से आवेदन कर सकता है अथवा ई–मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। इस सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क ई–मित्र को अदा करना होगा।
3. आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर की छवि सॉफ्ट कॉपी में रखनी होगी, जिसकी साइज निम्न प्रकार से होगी–

   फोटो साइज :– 50 केबी से 100 केबी के मध्य

   हस्ताक्षर साइजः– 20 केबी से 50 केबी के मध्य

4. आवेदक के अपने आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे :
   a. 10वीं कक्षा की अंकतालिका,
   b. पूर्व कैदी को भुगती हुई सजा के सम्बंध में प्रमाण पत्र
   c. एन सी सी निर्देशक का निर्देशक के रूप में की गई सेवा के सम्बंध में प्रमाण पत्र
   d. नेपाल / भूटान के निवासियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र
5. आवेदक द्वारा अपना सही मोबाइल नं. एवं ई–मेल आईडी आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी।

**ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:–**

1. भर्ती हेतु आवेदन–पत्र राजस्थान सरकार के सिस्टम (SSO) पर उपलब्ध है।
2. जो आवेदक पूर्व से ही अपनी SSO ID एवं पासवर्ड रखते हैं, वे SSO URL (http://sso.rajasthan.gov.in/signin) पर लॉन–इन करने में सक्षम होंगे।
3. जो आवेदक पूर्व में पंजीकृत नहीं हैं वे स्वयं को उपरोक्त वर्णित URL पर (Register) रजिस्टर बटन को Click करके स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं।
4. जब आवेदक SSO पर लॉग–इन करेंगे तब उन्हें नाम सहित **"Recruitment Portal"** नजर आयेगा।

5. आवेदक को भर्ती पोर्टल लॉग–इन पृष्ठ (उम्मीदवार डेशबोर्ड) के लिए निर्देशित करेगा।
6. आवेदक Ongoing Recruitment Tab के तहत सम्बन्धित भर्ती देखने में सक्षम होगा, जहाँ पर वह आवेदन कर सकेगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त उसे निर्धारित फीस (शुल्क) जमा कराना होगा।

8. आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा जो कि नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से होगा।
9. यह विशेष रूप से ज्ञात हो कि आवेदन पत्र तब पूर्ण हुआ माना जायेगा जब फीस जमा कराने के बाद आवेदक का यूनिक आवेदन पत्र कमांक (Application Number) जनरेट हो जाए।
10. आवेदक को आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर अपने पास रखना होगा।
11. आवेदक Recruitment Portal पर Login कर किसी भी समय अपना आवेदन पत्र, परिणाम देख सकता है।

**ई–मित्र से आवेदन कैसे करें:–**

1. आवेदक अपने निकटतम ई–मित्र केन्द्र पर जा कर अपना आवेदन भर सकते हैं।
2. आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर ई–मित्र केन्द्र आवेदन भरेगा। आवेदक को निर्धारित आवेदन शुल्क एवं ई–मित्र सेवा शुल्क अदा करना होगा ।
3. आवेदक ई–मित्र केन्द्र से आवेदन क्रमांक युक्त आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी।

नोटः

1. कृपया आवेदन करते समय सही सूचनाएं अंकित करें, कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. आवेदन पत्र को एक बार **Submit** किये जाने के पश्चात् उसमें भरी गई सूचना में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकेगा, अतः आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में भरी गई सूचना सही एवं पूर्ण हैं।
3. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क जमा करवाने के पश्चात् आवेदन संख्या युक्त आवेदन पत्र, उसकी **SSO ID** पर उपलब्ध है।

13. **ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा :–**

**ऑनलाईन आवेदन (Online Application) भरने की समय सीमा दिनांक 12.02.2018 (सोमवार) को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक 13.03.2018 (मंगलवार) को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के अन्दर यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करे। **ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन–पत्र (Online Application) भरने की अंतिम दिनांक 13.03.2018 तक जमा की जा सकेगी, उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।**

14. आवेदन संबन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) किसी भी परिस्थिति में आवेदक की प्रार्थना पर परिवर्तित नहीं की जायेगी।**

   नोट :– राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।
2. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। आवेदक आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह सुसंगत नियमों के तहत अधिकथित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. पात्र अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता की उपधारणा करने का हकदार नहीं बनायेगा। भर्ती प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता, जिनका पद के लिए चयन किया गया है, किसी भी स्तर पर खारिज कर सकता है यदि वे पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र पाये जायें।
4. परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने एवं Application Number प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

15. महत्वपूर्ण तिथियां:–

I. **ऑनलाईन आवेदन भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा दिनांक : 12.02.2018 (सोमवार) से 13.03.2018 (मंगलवार) रात्रि 11:59 बजे तक।**

16. अनापत्ति प्रमाण–पत्र:–

राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में मौलिक/अस्थायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों, जो कि नियमानुसार पात्रता धारक हो, को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा सम्बन्धित जिला न्यायालय को आवेदक

द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

17. **महत्वपूर्ण सूचनाऐंः–,**

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्यों का स्वरूप ऐसा होगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये। आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों एवं कर्तव्यों की समय–समय पर पालना करने बाबत् वचन पत्र (आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार) निष्पादित करना होगा।

(2) समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण–पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(3) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर दिया गया है, उनको ही **भर्ती प्राधिकारी** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। **भर्ती प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी** द्वारा आवेदक के मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन/ महिला/ विधवा/ तलाकशुदा/ राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

(4) अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग :– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त भर्ती प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन संचालित चयन प्रक्रिया में भाग लेने से या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

(5) संयाचनाः– नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

**हैल्प लाईन नम्बरः–**

1. आवेदन फॉर्म भरते समय उत्पन्न कठिनाईयों हेतु 0294–3057541.
2. परीक्षा शुल्क जमा कराने में उत्पन्न कठिनाईयों हेतु 0141–2221424 एवं 2221425.
3. उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी हेतु 0291–2541042 एवं 2541388.

**हैल्प लाईन (Help Line)** नम्बरों पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) सम्पर्क करें।

**आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित किया जाये।**

08.02.2018–

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2018/ दिनांक : 08/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान को उनके कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
4. आयुक्त, रोजगार निदेशालय, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को विज्ञप्ति की सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचारित व प्रसारित करवाने हेतु।
6. राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.), प्रथम तल, सी–ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. डी.आई.ओ., एन.आई.सी., कम्प्यूटर अनुभाग, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पीठ जयपुर को उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

08.02.2018–

रजिस्ट्रार (परीक्षा)